राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्र. एफ 4(2) ग्रावि / महानरेगा / अडिवियो / 2010 जयपुर, दिनांकः–

21 JAN 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **अमृता देवी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाली महिलाओं को घाघरा लुगडी देने बाबत।**
प्रसंगः **इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.07.09 एवं 1.09.09**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अमृता देवी विश्नोई योजनान्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में एकल महिला द्वारा 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर 250/– रू0 सममूल्य की घाघरा ओढनी दी जानी है। आशा है कि इस संबंध में आपके द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी होंगी।

इसके अतिरिक्त कृपया दिनांक 27.01.2010 तक यह भी अवगत कराने का श्रम करे कि इस वित्तीय वर्ष के लिए माह दिसम्बर 09 की समाप्ति तक कितनी महिलाओं को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है एवं इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी महिलाओं को लाभान्वित किये जाने की संभावना है।

भवदीय,

(एन.के. गुप्ता)
अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)

प्रतिलिपिः– अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (प्रथम)